संख्या:93/2023-1551/2023-1703514/12-2005(002)/23/2023

प्रेषक,

डॉ0 राज शेखर,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 07 नवम्बर, 2023

विषय: कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु कृषि निदेशालय स्तर पर समिति गठित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: अभि0-13(1)/630/शासन पत्रा0/23-24, दिनांक 08 अगस्त, 2023, पत्र संख्या: अभि0-13(2)/840/शासन पत्रा0/23-24, दिनांक 05 सितम्बर,, 2023 एवं पत्र संख्या: अभि0-13(2)/630/शासन पत्रा0/23-24, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु कृषि निदेशालय स्तर पर समिति गठित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना एवं कृषि यंत्रीकरण की अन्य योजनाओं के सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश संख्या: 63/2023/ 1063/12-2-2023/100(05)/2014, दिनांक 05 अगस्त, 2023 के क्रम में कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु कृषि निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) अपर कृषि निदेशक (सामान्य), उत्तर प्रदेश, लखनऊ	----	अध्यक्ष
(2) संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ	----	सदस्य-सचिव
(3) उप कृषि निदेशक (प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश	----	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर कृषि निदेशक के अनुमोदनोंपरान्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाएगा। गत वर्षो में कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं में कृषकों/लाभार्थियों के लंबित समस्या/शिकायत के सम्बन्ध में उक्त प्रक्रिया अनुसार ही निस्तारण किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में औचित्यपूर्ण कारणों से अस्वीकृत प्रकरण के प्राप्त होने की सम्भावना के दृष्टिगत पूर्व में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रकरण स्वतः निस्तारित समझे जायेंगे।

कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डॉ0 राज शेखर
सचिव।

संख्या:93/2023-1551(1)/2023-1703514/12-2005(002)/23/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर कृषि निदेशक (सामान्य), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. उप कृषि निदेशक (प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।